प्रारूप–घ

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश भीकनगांव, के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश (मण्डलेश्वर)

(पीठासीन अधिकारी :– सूरज सिंग राठोड़)

ST Registration No.-	**55/2022**
Filing No.-	**2971/2022**
CNR No.-	**MP10080033462022**
Registration Date	**24.12.2022**

(निर्णय दिनांक 11.08.2026)
(सत्र प्रकरण क्रमांक 55/2022)
{प्र.सू.रि./अपराध और पुलिस थाने का विवरण}

(आरक्षी केन्द्र–**भीकनगांव** जिला–खरगोन के अपराध क्रमांक **318/2022** अंतर्गत आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25(1), 25(1)(ए), 29)

फरियादी/परिवादी द्वारा		म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र–**भीकनगांव**, जिला–**खरगोन** (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा		श्री गजानंद खन्ना, अपर लोक अभियोजक
—::विरूद्ध::—		
अभियुक्तः–	**01.**	मनोज पिता मोहन वर्मा, आयु लगभग 26 वर्ष, निवासी जुनागांव, बमनाला, आरक्षी केन्द्र, भीकनगांव, जिला खरगोन (मध्यप्रदेश)
प्रतिनिधित्व द्वारा		श्री एम.एच. लाहोरी, अधिवक्ता।
अभियुक्त	**02.**	विनय उर्फ विक्की पिता बिहारीलाल वर्मा, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम सेल्दा, आरक्षी केन्द्र, भीकनगांव, जिला खरगोन (मध्यप्रदेश)
प्रतिनिधित्व द्वारा		श्री आशिफ शेख, अधिवक्ता।
	03.	सचिन पिता जगदीश सिकलीकर, आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम सिगनुर, आरक्षी केन्द्र, गोगावां, जिला खरगोन (मध्यप्रदेश)

प्रतिनिधित्व द्वारा		श्री अक्षय अग्रवाल, अधिवक्ता।

न्यायालय–**श्री फरहान एम. कुरैशी,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भीकनगांव, जिला–खरगोन के न्यायालय के आपराधिक प्रकरण/आर.सी.टी. क्रमांक 595/2022 ''म.प्र.राज्य विरूद्ध मनोज एवं अन्य 02'' (आरक्षी केन्द्र–भीकनगांव, जिला खरगोन के अपराध क्रमांक 318/2022 अंतर्गत धारा 25(1), 25(1)(ए), 29 आयुध अधिनियम, 1959 में उपार्पण आदेश दिनांक 15.12.2022 द्वारा उदभूत सत्र प्रकरण।

–: निर्णय :–

(आज दिनांक 11.08.2026 को घोषित)

01. आरोपी मनोज तथा विनय उर्फ विक्की के विरूद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(क) के तहत यह आरोप है कि उन्होंने दिनांक 20.05.2022 को 17:30 बजे से 18:15 बजे के मध्य आरक्षी केन्द्र, भीकनगांव के क्षेत्रांतर्गत आने वाले स्थान ग्राम बमनाला स्थित सेल्दा फाटा बस स्टॉप के समीप अपने आधिपत्य में 01–01 हस्तनिर्मित लोहे की देशी पिस्टल मय मैग्जीन, सह अभियुक्त सचिन से क्रय कर बिना वैध अनुज्ञप्ति में अपने आधिपत्य में रखकर धारा 5 आयुध अधिनियम का उल्लंघन किया।

02. आरोपी सचिन के विरूद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(क) के तहत यह आरोप है कि उसने अभियोजित घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर 01 हस्तनिर्मित देशी पिस्टल बिना वैध अनुज्ञप्ति में अपने आधिपत्य में रखकर धारा 5 आयुध अधिनियम का उल्लंघन किया तथा 01 अवैध हस्तनिर्मित देशी पिस्टल जो कि अग्नायुध है, को यह जानते हुए कि उक्त अग्नायुध का निर्माण कर विक्रय करने हेतु अनुज्ञप्त नहीं है, अग्नायुध का निर्माण किया।

03. **अभियोजन मामला इस प्रकार है,** दिनांक 20.05.2022 को पुलिस चौकी बमनाला (अंतर्गत थाना, भीकनगांव) के कार्यवाहक सहायक

उपनिरीक्षक शत्रुघ्न देशमुख को मुखबिर से सूचना मिली कि सेल्दा फाटा बस स्टॉप के समीप दो लड़के अवैध देशी हस्तनिर्मित कट्टा लेकर खड़े हैं। उक्त मुखबिर सूचना पर हमराह स्टॉफ एवं स्वतंत्र साक्षीगण को तलब कर उन्हें मुखबिर सूचना से अवगत कराया और उनको साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान सेल्दा फाटा बस स्टॉप के समीप पहुंचे, जहां मुखबिर के बताये हुलिया के 02 लड़के खड़े होना दिखे, जो पुलिस को देखकर मौके से जाने का प्रयास करने लगे, जिन्हें हमराह स्टॉफ व पंचानों की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा, उनका नाम, पता पूछा, जिन्होंने अपना नाम मनोज पिता मोहन वर्मा और विनय उर्फ विक्की पिता बिहारी वर्मा होना बताया। तत्पश्चात पकड़े गए उक्त व्यक्तियों की तलाशी ली गयी, तो उनके पास से एक–एक हस्तनिर्मित देशी पिस्टल मय मैग्जीन की पायी गयी। उक्त देशी पिस्टल के रखने–लाने ले जाने का लायसेंस के बारे में पूछने पर उन्होंने लायसेंस नहीं होना बताया। तत्पश्चात आरोपीगण मनोज वर्मा एवं विनय उर्फ विक्की के कब्जे से एक–एक हस्तनिर्मित देशी पिस्टल जप्ती पंचनामा बनाये गये, आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामे बनाये गये, आरोपीगण से जप्तशुदा अवैध देशी पिस्टलों को क्रय करने व लाने के संबंध में पूछताछ कर उनके मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध किये गये, जिन्होंने उक्त देशी पिस्टल आरोपी सचिन पिता जगदीश निवासी ग्राम सिगनुर से खरीदकर लाना बताया। पश्चात मौके से वापस आकर पुलिस चौकी बमनाला (आरक्षी केन्द्र, भीकनगांव) पर अपराध क्रमांक 20/2022 अंतर्गत धारा 25 (1) आयुध अधिनियम के तहत आरोपीगण मनोज, विनय उर्फ विक्की तथा सचिन के विरूद्ध पंजीबद्ध करते हुए आरक्षी केन्द्र, भीकनगांव पर असल अपराध क्रमांक 318/2022 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी।

04. अनुसंधान के दौरान दिनांक 03.10.2022 को आरोपी सचिन को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर उसका धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कथन लेखबद्ध किया गया, जिसमें उसके द्वारा

आरोपीगण मनोज व विनय को एक–एक पिस्टल बनाकर बेचना तथा पिस्टल बनाने का सामान घर में छिपाकर रखना एवं बरामद करा देना बताया। पश्चात आरोपी सचिन के मेमोरेण्डम के आधार पर उसके घर से एक हस्तनिर्मित लोहे की अवैध पिस्टल मय मैग्जीन, हवा मारने का पंखा, दो कानस, लोहे के दो स्प्रिंग, एक लोहे की हथोड़ी, एक पिस्टल बनाने का पतरे का सांचा, एक आरी का पत्ता, एक चोकोर पाईप तथा एक लोहे के चोकोर सीट (चोकोर पाईप का टुकड़ा) जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया। अभियोजन साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये, जप्तशुदा तीन देशी पिस्टल की आर्म्स मोहर्रिर से जांच करवाकर जांच रिपोर्ट प्राप्त की गयी। पश्चात आरोपीगण के विरूद्ध आयुध अधिनियम के अपराध के संबंध में जिला दंडाधिकारी, खरगोन से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गयी, पश्चात् सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25(1), 29 के अंतर्गत दिनांक 09.11.2022 को अभियोग पत्र संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से प्रकरण दिनांक 15.12.2022 को उपार्पण किया तथा विधिवत् उपार्पित होकर मान्नीय प्रधान सत्र न्यायालय, मण्डलेश्वर से सुनवायी हेतु अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

05. पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा आरोपीगण मनोज तथा विनय उर्फ विक्की पर आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25(1)(ए) तथा आरोपी सचिन पर आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25(1)(ए) तथा धारा 29 के तहत आरोप विरचित कर आरोपी को पढ़ कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोप अस्वीकार किया। अभियोजन साक्ष्य लेख किये जाने के उपरांत दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 313 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 351) के अंतर्गत आरोपीगण का परीक्षण किया गया। आरोपीगण ने परीक्षण के दौरान इस आशय का कथन किया है कि वे निर्दोष है, उन्हें झूठा फंसाया गया है। आरोपीगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

06. न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न यह हैं कि –

01.	क्या आरोपीगण मनोज तथा विनय उर्फ विक्की ने अभियोजित घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर धारा 5 आयुध अधिनियम के उल्लंघन में एक–एक हस्तनिर्मित देशी पिस्टल मय मैग्जीन, सह अभियुक्त सचिन से क्रय कर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखा ?
02.	क्या आरोपी सचिन ने अभियोजित घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर धारा 5 आयुध अधिनियम के उल्लंघन में एक हस्तनिर्मित देशी पिस्टल मय मैग्जीन बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखा ?
03.	क्या आरोपी सचिन ने अभियोजित घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर यह जानते हुए कि देशी पिस्टल (आग्नेयास्त्र) निर्माण व विक्रय करने हेतु अनुज्ञप्त नहीं है, उपरांत उक्त आग्नेयास्त्र का विनिर्माण किया ?

विचारणीय प्रश्न क्रमांक–01 लगायत 03 पर निष्कर्ष व निष्कर्ष के आधार

07. साक्ष्य एवं तथ्यों की पुनरावृत्ति रोकने व सुविधा की दृष्टि से उक्त तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. शत्रुघ्न देशमुख सहायक उपनिरीक्षक (अ.सा.4) ने दिनांक 20.05.2022 को पुलिस चौकी बमनाला, पुलिस थाना, भीकनगांव में पदस्थ रहना बताते हुए कथन किया है कि उसे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सेल्दा फाटा बस स्टॉफ के समीप दो लड़के अवैध हस्तनिर्मित देशी कट्टे लेकर खड़े हैं, जिस पर प्रधान आरक्षक मुतलीफ खान व आरक्षक अरविंद को हमराह लेकर राहगीर पंचान राकेश तथा यशराज उर्फ राजा को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर सेल्दा फाटा बस स्टॉप के पास

पहुंचा, उसके द्वारा बनाया गया मुखबिर सूचना पंचनामा प्रदर्श–पी. 13 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

09. उक्त साक्षी ने यह भी कथन किया है कि मौके पर मुखबिर द्वारा बताये गये हुलिया अनुसार दो लड़के खड़े दिखे, जिन्हें हमराह फोर्स व पंचानों की मदद से पकड़ा, उनका नाम, पता पूछा, तो एक ने अपना नाम मनोज पिता मोहन, निवासी जुनागांव बमनाला तथा दूसरे ने विनय उर्फ विक्की, निवासी सेल्दा का होना बताया। पश्चात तलाशी लेने पर आरोपी मनोज की कमर की दाहिनी तरफ पेंट में फंसाया हुआ एक देशी पिस्टल मय मैग्जीन मिली तथा आरोपी विनय उर्फ विक्की की तलाशी लेने पर उसकी कमर में दाहिनी तरफ पेंट में फंसाया हुआ एक देशी पिस्टल मय मैग्जीन के पाया गया। उक्त दोनों आरोपियों ने उक्त हथियार लाने– ले जाने के संबंध में लायसेंस नहीं होना बताया।

10. उक्त साक्षी ने यह भी कथन किया है कि तत्पश्चात मौके पर पंचानों के समक्ष आरोपीगण से उक्त अवैध हथियार जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श–पी. 01 व प्रदर्श–पी. 02 के बनाये गये। अभियुक्त मनोज से एक जीओ कंपनी का की–पेड मोबाईल व आरोपी विनय उर्फ विक्की से एक वीवो कंपनी का एंड्रायड मोबाईल जप्त कर जप्ती पंचनामे प्रदर्श–पी. 03 एवं प्रदर्श–पी. 04 के बनाये गये। अभियुक्तगण मनोज व विनय उर्फ विक्की को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श–पी. 05 एवं प्रदर्श–पी. 06 के बनाये गये। पश्चात जप्तशुदा हथियार व आरोपीगण को पुलिस चौकी बमनाला पर लाकर वहां प्रदर्श–पी. 14 अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी, पश्चात आरक्षी केन्द्र, भीकनगांव पर असल अपराध क्रमांक 318/2022 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श–पी. 17 पंजीबद्ध की गयी।

11. उक्त साक्षी ने यह भी कथन किया है कि आरोपीगण मनोज व विनय उर्फ विक्की से पूछताछ की थी, जिन्होंने आरोपी सचिन पिता जगदीश सिकलीकर से एक–एक देशी पिस्टल खरीदना बताने की

जानकारी दी थी, तत्संबंध में मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श–पी. 07 एवं प्रदर्श–पी. 08 है। प्रकरण में अभियुक्त मनोज से जप्तशुदा एक देशी पिस्टल आवश्यक वस्तु ए–1, एक मैग्जीन आवश्यक वस्तु ए–2, एक मोबाईल काले रंग का की–पेड जीओ कंपनी का आवश्यक वस्तु ए–3, अभियुक्त विनय से जप्तशुदा एक देशी पिस्टल आवश्यक वस्तु ए–4, एक मोबाईल काले रंग का वीवो कंपनी का आवश्यक वस्तु ए–5 है। उक्त सभी आवश्यक वस्तुओं पर जप्ती चीट चस्पा है, जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में यह गलत होना बताया है कि आरोपी मनोज ने कोई मेमोरेण्डम कथन नहीं दिया, यह भी गलत होना बताया है कि उसने प्रकरण में जो जप्तशुदा हथियार बताये गये हैं, वह उक्त प्रकरण में जप्तशुदा हथियार नहीं है। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी के कथनों में कोई सारवान विरोधाभास व विसंगति उत्पन्न नहीं हुई है, उक्त साक्षी अपने कथनों पर अडिग रहा है।

12. राकेश अ.सा.01 ने आरोपीगण को पहचानते हुए कथन किया है कि पुलिस ने सेल्दा फाटा बमनाला में आरोपी मनोज व विनय से एक–एक लोहे की पिस्टलें जप्त की थी, जिसके जप्ती पंचनामा प्रदर्श–पी. 01 व प्रदर्श–पी. 02 है, पुलिस ने उसके समक्ष आरोपीगण से मोबाईल जप्त नहीं किये थे, किंतु जप्ती पंचनामे प्रदर्श–पी. 03 व प्रदर्श–पी. 04 पर उसका अंगूठा निशानी लगा हुआ है, पुलिस ने उसके समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामे प्रदर्श–पी. 05 व प्रदर्श–पी. 05 बनाये थे, जिन पर उसका अंगूठा निशानी लगा हुआ है।

13. उक्त साक्षी ने यह भी कथन किया है कि घटना दिनांक को वह बमनाला में सेल्दा रोड़ नदी पर काम कर रहा था, तभी वहां पर चौकी पुलिस वाले आये थे और उसके सामने पुलिस ने आरोपीगण विनय व मनोज को पकड़ा और उनके शरीर की तलाश लेने पर दोनों के पास एक–एक पिस्टलें कमर में खोसी हुई पायी थी। उसे जानकारी नहीं है कि आरोपीगण पिस्टलें कहां से लाये थे। अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घ

ाोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह गलत होना बताया है कि उसके समक्ष आरोपीगण मनोज व विनय ने पुलिस को यह बताया था कि वे आरोपी सचिन पिता जगदीश सिकलीगर निवासी सिगनुर से पिस्टलें खरीदकर लाये थे, जिस पर पुलिस ने मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श–पी. 07 एवं प्रदर्श–पी. 08 के बनाये थे, जिस पर उसका अंगूठा निशानी है। बचाव पक्ष की ओर से, अवसर देने के उपरांत भी उक्त साक्षी का प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है। इस प्रकार राकेश अ.सा.01 के कथनों से यह प्रकट होता है कि पुलिस ने आरोपी मनोज तथा विनय से एक–एक लोहे की पिस्टलें जप्त की थी, जिसका कोई खंडन अभियुक्तगण की ओर से नहीं हुआ है और तत्संबंध में इस साक्षी ने विवेचक द्वारा की गयी कार्यवाही का समर्थन किया है।

14. यशराज अ.सा.03 ने आरोपीगण को पहचानते हुए कथन किया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है, पुलिस ने उसके समक्ष कोई कार्यवाही नहीं की। अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन कथानक का कोई समर्थन नहीं किया है।

15. लक्ष्मीनारायण पाल अ.सा.06 सहायक उपनिरीक्षक ने दिनांक 03.10.2022 को पुलिस थाना, भीकनगांव में पदस्थ रहने के दौरान मामले की विवेचना के दौरान आरोपी सचिन को साक्षी पिस्सु व शिवा के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श–पी. 19 तैयार किये जाने, उससे पूछताछ करने, जिसमें आरोपी सचिन द्वारा पिस्टल बनाने के औजार के संबंध में जानकारी दिये जाने पर तत्संबंध में धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श–पी. 21 तैयार किये जाने, अभियुक्त सचिन के बताये हुए स्थान से उसके द्वारा पेश करने पर साक्षीगण के समक्ष एक पिस्टल मय मैग्जीन तथा पिस्टल बनाने की सामग्री विधिवत जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श–पी. 22 बनाये जाने का कथन किया है।

16. उक्त साक्षी ने यह भी कथन किया है कि अभियुक्त सचिन से

जप्तशुदा एक देशी पिस्टल आवश्यक वस्तु ए–06, हवा देने का पंखा आवश्यक वस्तु ए–07, एक लोहे की हथोड़ी आवश्यक वस्तु ए–08, पिस्टल बनाने का पतरे का सांचा आवश्यक वस्तु ए–09, एक बड़ी कानस आवश्यक वस्तु ए–10, एक आरी का पत्ता आवश्यक वस्तु ए–11, एक चोकोर पाईप आवश्यक वस्तु ए–12, एक छोटी कानस आवश्यक वस्तु ए–13, दो लोहे के स्प्रिंग आवश्यक वस्तु ए–14 व 15 तथा एक लोहे की चोकोर सीट (चोकोर पाईप का टुकड़ा) आवश्यक वस्तु ए–16 है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह सही होना बताया है कि उसने ऐसा कोई दस्तावेज और कॉल डिटेल प्रस्तुत नहीं की है कि कभी भी सचिन का आरोपी मनोज व विनय के साथ कोई संपर्क हुआ हो। यह भी सही होना बताया है कि उसके द्वारा ऐसा कोई प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है कि आरोपी का ग्राम सिगनुर में ही स्थित है, यह भी सही होना बताया है कि उसके द्वारा जो कट्टा जप्त करना बताया है, वह रूखड़े में से निकालकर जप्त किया गया था, यह भी सही होना बताया है कि जो रूखड़ा उसके द्वारा बताया गया है, वह खुला स्थान है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी के कथनों में कोई तात्विक विरोधाभाष व विसंगति उत्पन्न नहीं हुई है।

17. पिस्सू उर्फ शोएब अ.सा.07 तथा शिवा अ.सा.08 जो कि अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त सचिन के संबंध में की गयी जप्ती, गिरफ्तारी तथा मेमोरेण्डम की कार्यवाही के साक्षीगण है, जिन्होंने अभियुक्त सचिन को नहीं पहचानते हुए उन्हें घटना की कोई जानकारी नहीं होना व पुलिस द्वारा उनके समक्ष कोई कार्यवाही नहीं करने का कथन किया है। अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त दोनों साक्षीगण ने अभियोजन कथानक का कोई समर्थन नहीं किया है।

18. बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया है कि अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण मनोज व विनय के जप्ती, मेमोरेण्डम व गिरफ्तारी के गवाह यशराज अ.सा.03 ने अभियोजन कहानी का कोई समर्थन नहीं किया

है। इसी प्रकार अभियुक्त सचिन जप्ती, मेमोरेण्डम व गिरफ्तारी के दोनों गवाह पिस्सू उर्फ शोएब अ.सा.07 तथा शिवा अ.सा.08 ने भी अभियोजन कहानी का कोई समर्थन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण से जप्ती की कार्यवाही प्रमाणित नहीं होती है। यह भी तर्क दिया है कि विवेचक शत्रुघन देशमुख अ.सा.04 जिसके द्वारा आरोपीगण मनोज व विनय उर्फ विक्की को गिरफ्तार करना व आरोपीगण से प्रश्नगत आयुध जप्त करना बताया है, एक ही व्यक्ति है। इसी प्रकार विवेचक लक्ष्मीनारायण पाल अ.सा.06 जिसके द्वारा आरोपी सचिन को गिरफ्तार कर उससे प्रश्नगत आयुध व आयुध सामग्री जप्त करना बताया है, वह भी एक ही व्यक्ति है। अतः आरोपीगण के विरूद्ध विधि अनुसार जप्ती प्रमाणित नहीं है।

19. यह सुस्थापित विधि है कि मात्र पंच साक्षीगण द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन न करने के आधार पर ही अभियोजन कहानी को संदेहास्पद नहीं माना जा सकता है, किंतु इसके लिए आवश्यक है कि परीक्षित पुलिस विभाग के साक्षीगण की साक्ष्य स्वाभाविक, संतोषप्रद व विश्वसनीय हो और उसमें कोई भी संदेहास्पद परिस्थिति प्रकट न हो। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का **न्यायदृष्टांत नाथुसिंह विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य, ए.आई.आर. 1973 एस.सी. 2783 एवं** माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत **काले बाबू विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य, 2008 (4) एम.पी.एच.टी. 397** अवलोकनीय है।

20. हस्तगत प्रकरण में अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण मनोज व विनय से जप्ती व गिरफ्तारी के साक्षी के रूप में राकेश अ.सा.01 तथा यशराज अ.सा.03 के कथन कराये है तथा अभियुक्त सचिन से जप्ती व गिरफ्तारी के साक्षी के रूप में साक्षी पिस्सु उर्फ शोएब अ.सा.07 तथा शिवा अ.सा.08 को प्रस्तुत किया है तथा अन्य स्वतंत्र साक्षी के कथन अभियोजन की ओर से नहीं कराये हैं। यद्यपि हस्तगत मामले में स्वतंत्र साक्षी यशराज अ.सा.03 और पिस्सु उर्फ शोएब अ.सा.07 तथा शिवा अ.सा. 08 ने अभियोजन कथानक का कोई समर्थन नहीं किया है, किंतु राकेश

अ.सा.01 ने विवेचक शत्रुघ्न देशमुख अ.सा.04 के कथनों का समर्थन किया है। यहां इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए कोई साक्षियों की विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है, **साक्ष्य अधिनियम की धारा 134** के अनुसार यदि किसी एक साक्षी की साक्ष्य भी न्यायालय को विश्वसनीय प्रतीत होती है, तो उसके आधार पर दोषसिद्धी की जा सकती है।

21. माननीय न्यायदृष्टांत **करमजीतसिंह विरूद्ध स्टेट ऑफ देहली एडमिनेस्ट्रेशन 2003 (5) एस.सी.सी. 297** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि पुलिस अधिकारी की साक्ष्य को भी अन्य साक्षीगण की साक्ष्य की तरह लेना चाहिये, विधि में ऐसा कोई नियम नहीं है कि अन्य साक्षीगण की पुष्टि के अभाव में पुलिस अधिकारी की साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

22. बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क किया गया है कि हस्तगत मामले में विवेचक साक्षी शत्रुघ्न देशमुख अ.सा.04 ने ही अभियुक्त मनोज और विनय उर्फ विक्की से जप्ती, मेमोरेण्डम और गिरफ्तारी की कार्यवाही किया जाना बताया गया है और उनके द्वारा ही प्रथम सूचना रिपोर्ट भी लेखबद्ध की गयी है। अतः विवेचक साक्षी शत्रुघ्न देशमुख अ.सा.04 द्वारा की गई संपूर्ण कार्यवाही दुषित है।

23. यद्यपि हस्तगत मामले में विवेचक साक्षी शत्रुघ्न देशमुख अ.सा.04 के द्वारा अभियुक्तगण मनोज और विनय से जप्ती, मेमोरेण्डम कथन और गिरफ्तारी की कार्यवाही की गयी है और उनके द्वारा ही प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी होना प्रकट है, किंतु माननीय न्यायदृष्टांत **स्टेट ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस इंटकप्शन तिरूचीरापल्ली विरूद्ध विजयपाल 2004 ए.आई.आर.एस.सी. 2684 एवं एस जीवनाथम विरूद्ध स्टेट ध्रुव इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस तमिलनाडू, 2004 ए.आई. आर.एस.सी. पेज 4608** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि जप्तीकर्ता पुलिस इंस्पेक्टर जिसने सर्च व रिकवरी की, उसी ने मामला पंजीबद्ध कर अनुसंधान कर भी लिया, तब भी वह अभियोजन के लिए घातक नहीं

है, यदि दुर्भावना स्थापित करने की कोई परिस्थिति न हो।

24. हस्तगत प्रकरण में विवेचक साक्षी शत्रुघन देशमुख अ.सा.04 ने दिनांक 20.05.2022 को पुलिस चौकी बमनाला, पुलिस थाना, भीकनगांव में पदस्थ रहने के दौरान उसे मुखबिर से सूचना प्राप्त होने, जिस पर मौके पर पहुंचने पर वहां मुखबिर द्वारा बताये गये हुलिया अनुसार दो लड़के खड़े देखना, जिनके नाम मनोज व विनय उर्फ विक्की होना, उनकी तलाशी लेने पर उनसे एक–एक हस्तनिर्मित देशी पिस्टल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श–पी. 01 व प्रदर्श–पी. 02 बनाये जाने, अभियुक्त मनोज से एक जीओ कंपनी का की–पेड मोबाईल व आरोपी विनय उर्फ विक्की से एक वीवो कंपनी का एंड्रायड मोबाईल जप्त कर जप्ती पंचनामे प्रदर्श–पी. 03 एवं प्रदर्श–पी. 04 बनाकर अभियुक्तगण मनोज व विनय उर्फ विक्की को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श–पी. 05 एवं प्रदर्श–पी. 06 के बनाये जाने, पश्चात उनसे पूछताछ करने पर उनके द्वारा आरोपी सचिन पिता जगदीश सिकलीकर से एक–एक देशी पिस्टल खरीदना बताने की जानकारी दिये जाने, तत्संबंध में मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श–पी. 07 एवं प्रदर्श–पी. 08 तैयार किये जाने का कथन किया है। राकेश अ.सा.01 ने भी अपने न्यायालयीन कथन के दौरान आरोपीगण मनोज व विनय से एक–एक लोहे की पिस्टलें जप्त होने का कथन करते हुए विवेचक शत्रुघ्न देशमुख अ.सा.04 के उक्त कथनों का समर्थन किया है।

25. उक्त विवेचक साक्षी शत्रुघन देशमुख अ.सा.04 तथा स्वतंत्र साक्षी राकेश अ.सा.01 की अभियुक्तगण मनोज व विनय उर्फ विक्की से कोई रंजिश या दुर्भावना रही हो, ऐसी कोई साक्ष्य व दस्तावेज अभिलेख पर विद्यमान नहीं है। अतः प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण मनोज एवं विनय उर्फ विक्की से एक–एक हस्तनिर्मित देशी पिस्टल मय मैग्जीन के जप्त किया जाना प्रमाणित है।

26. इसी प्रकार विवेचक साक्षी लक्ष्मीनारायण पाल अ.सा.06 ने

दिनांक 03.10.2022 को पुलिस थाना, भीकनगांव में पदस्थ रहने के दौरान मामले की विवेचना के दौरान आरोपी सचिन को साक्षी पिस्सु व शिवा के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श–पी. 19 तैयार किये जाने, उससे पूछताछ करने, जिसमें आरोपी सचिन द्वारा पिस्टल बनाने के औजार के संबंध में जानकारी दिये जाने पर तत्संबंध में धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श–पी. 21 तैयार किये जाने, अभियुक्त सचिन के बताये हुए स्थान से उसके द्वारा पेश करने पर साक्षीगण के समक्ष एक पिस्टल मय मैग्जीन तथा पिस्टल बनाने की सामग्री (जप्तशुदा एक देशी पिस्टल आवश्यक वस्तु ए–06, हवा देने का पंखा आवश्यक वस्तु ए–07, एक लोहे की हथोड़ी आवश्यक वस्तु ए–08, पिस्टल बनाने का पतरे का सांचा आवश्यक वस्तु ए–09, एक बड़ी कानस आवश्यक वस्तु ए–10, एक आरी का पत्ता आवश्यक वस्तु ए–11, एक चोकोर पाईप आवश्यक वस्तु ए–12, एक छोटी कानस आवश्यक वस्तु ए–13, दो लोहे के स्प्रिंग आवश्यक वस्तु ए–14 व 15 तथा एक लोहे की चोकोर सीट (चोकोर पाईप का टुकड़ा) आवश्यक वस्तु ए–16 है) विधिवत जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श–पी. 22 बनाये जाने का कथन किया है। उक्त विवेचक साक्षी लक्ष्मीनारायण पाल अ.सा.06 की अभियुक्त सचिन से कोई रंजिश या दुर्भावना रही हो, ऐसी कोई साक्ष्य व दस्तावेज अभिलेख पर विद्यमान नहीं है। अतः प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त सचिन से एक पिस्टल मय मैग्जीन तथा पिस्टल बनाने की उपरोक्त सामग्री जप्त किया जाना प्रमाणित है।

27. लक्ष्मीनारायण पाल सहायक उपनिरीक्षक अ.सा.06 ने अपने कथन में यह बताया है कि पूर्व में जप्तशुदा दो देशी पिस्टल और उसके द्वारा जप्तशुदा एक देशी पिस्टल की जांच हेतु आर्म्स मोहर्रिर शाखा रक्षित निरीक्षक, खरगोन को मय पत्र के प्रेषित किया गया था, उक्त पत्र प्रदर्श–पी. 10 है तथा पूर्व में भेजा गया पत्र प्रदर्श–पी. 23 है।

28. हरिचरण अ.सा.02 ने दिनांक 06.10.2022 को कार्यालय रक्षित

निरीक्षक, जिला पुलिस लाईन, खरगोन में आर्म्स मोहर्रिर के पद पर पदस्थ रहने के दौरान थाना भीकनगांव के अपराध क्रमांक 318/2022 में जप्तशुदा 03 हस्तनिर्मित देशी पिस्टल प्रदर्श–पी. 09 के पत्र के जरिए जांच हेतु सीलबंद अवस्था में प्राप्त होने पर उनके परीक्षण पर पिस्टलें अदरबोर होकर एक्शन चालू हालत में होने, फायरिंग पीन हेमर काम कर रही होने, शस्त्रों से फायर होने की संभावना होने तथा परीक्षण उपरांत उक्त हथियारों को सीलबंद करने, तत्संबंध में जांच परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श–पी. 10 एवं प्रदर्श–पी.11 प्रदत्त किये जाने का कथन किया है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी के कथनों में कोई तात्विक विरोधाभाष उत्पन्न नहीं हुए हैं। अतः यह प्रमाणित है कि प्रकरण में आरोपीगण मनोज, विनय उर्फ विक्की तथा सचिन से जप्तशुदा तीनों देशी पिस्टलें चालू हालत में पायी थी।

29. लक्ष्मीनारायण पाल सहायक उपनिरीक्षक अ.सा.06 ने अपने कथन में यह बताया है कि उसने दिनांक 11.10.2022 को अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति हेतु पुलिस अधीक्षक, खरगोन को प्रदर्श–पी. 24 का पत्र भेजा था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

30. विवेक पाटीदार आर्म्स क्लर्क अ.सा.05 ने दिनांक 14.10.2022 को पुलिस अधीक्षक, खरगोन के पत्र क्रमांक 80–ए/पु.अ.ख./ रीडर/ अभियोजन/दिनांक 12.10.2022 से पुलिस थाना, भीकनगांव के अपराध क्रमांक 318/2022 में जप्तशुदा सीलबंद 03 देशी हस्तनिर्मित पिस्टल की अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाने पर उक्त देशी पिस्टल का अभिलेखों का मिलान व परीक्षण किये जाने के पश्चात तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट कुमार पुरूषोत्तम द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श–पी. 18 दिये जाने व अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श–पी. 18 के ए से ए भाग पर तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर होने का कथन किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह सही होना बताया है कि अभियोजन स्वीकृति आदेश लिखाते समय शस्त्र मौजूद नहीं थे। तत्संबंध में यहां यह उल्लेखनीय है कि माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की खंडपीठ के न्यायदृष्टांत

<u>गुरूदेवसिंह उर्फ गोगा विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य, आई.एल.आर. (2011) एम.पी. 2053 (डी.बी.)</u> में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि अभियोजन स्वीकृति के समय आयुधों को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होता है, अभियोजन स्वीकृति करने वाले प्राधिकारी को आयुधों का परीक्षण करना भी आवश्यक नहीं है। अतः यह प्रमाणित है कि जिला मजिस्ट्रेट, खरगोन द्वारा आयुध अधिनियम की धारा 39 के तहत आरोपीगण मनोज, विनय उर्फ विक्की तथा सचिन के विरूद्ध अभियोजन चलाने की अनुमति प्रदर्श–पी. 18 प्रदान की थी।

31. हस्तगत मामले में अभियुक्तगण मनोज तथा विनय उर्फ विक्की से एक–एक हस्तनिर्मित देशी पिस्टलें तथा अभियुक्त सचिन से एक हस्तनिर्मित देशी पिस्टल तथा आयुध निर्माण की सामग्री जप्त होना प्रमाणित होता है। अभियुक्तगण मनोज और विनय उर्फ विक्की के धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत लेखबद्ध मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श–पी. 07 तथा प्रदर्श–पी. 08 के अनुसार उक्त देशी पिस्टलें उन्होंने सह अभियुक्त सचिन से 10–10 हजार रूपये में खरीदी थी। अभियुक्तगण मनोज और विनय उर्फ विक्की के उपरोक्त मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श–पी. 07 तथा प्रदर्श–पी. 08 में दी गई जानकारी के आधार पर ही आरोपी सचिन को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की गयी तथा उसका धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत मेमोरण्डम कथन प्रदर्श–पी. 21 का लेखबद्ध किया गया, जिसमें उसने आरोपीगण मनोज व विनय उर्फ विक्की को एक–एक पिस्टल बनाकर बेचना तथा पिस्टल बनाने का सामान जप्त कराना प्रकट किया है और उक्त मेमोरेण्डम कथन के आधार पर ही अभियुक्त सचिन के आधिपत्य से प्रदर्श–पी.22 जप्ती पत्रक अनुसार एक लोहे का हस्तनिर्मित अवैध पिस्टल तथा आयुध निर्माण सामग्री हवा देने का पंखा, एक लोहे की हथोड़ी, पिस्टल बनाने का पतरे का सांचा ,एक बड़ी कानस, एक आरी का पत्ता, एक चोकोर पाईप, एक छोटी कानस, दो लोहे के स्प्रिंग तथा एक लोहे की चोकोर सीट (चोकोर पाईप का टुकड़ा) जप्त हुए हैं।

32. अतः अभियोजन द्वारा करायी गयी साक्ष्य एवं उपरोक्त

विश्लेषण के आधार पर अभियोजन, युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपीगण मनोज तथा विनय उर्फ विक्की ने दिनांक 20.05.2022 को 17:30 बजे से 18:15 बजे के मध्य आरक्षी केन्द्र, भीकनगांव के क्षेत्रांतर्गत आने वाले स्थान ग्राम बमनाला स्थित सेल्दा फाटा बस स्टॉप के समीप अपने आधिपत्य में 01–01 हस्तनिर्मित लोहे की देशी पिस्टल मय मैग्जीन, सह अभियुक्त सचिन से क्रय कर बिना वैध अनुज्ञप्ति में अपने आधिपत्य में रखकर धारा 5 आयुध अधिनियम का उल्लंघन किया। यह भी प्रमाणित करने मे सफल रहा है कि आरोपी सचिन ने अभियोजित घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर 01 हस्तनिर्मित देशी पिस्टल बिना वैध अनुज्ञप्ति में अपने आधिपत्य में रखकर धारा 5 आयुध अधिनियम का उल्लंघन किया तथा 01 अवैध हस्तनिर्मित देशी पिस्टल जो कि अग्नायुध है, को यह जानते हुए कि उक्त अग्नायुध का निर्माण कर विक्रय करने हेतु अनुज्ञप्त नहीं है, अग्नायुध का निर्माण किया। अतः आरोपीगण मनोज और विनय उर्फ विक्की को आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 5 सहपठित धारा 25(1)(क) के आरोप में तथा आरोपी सचिन को आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 5 सहपठित धारा 25(1)(क) एवं 29 के आरोप में दोषसिद्ध पाया जाता है।

33. दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लेखन रोका जाता है।

(सूरज सिंग राठोड़)
अपर सत्र न्यायाधीश, भीकनगांव
के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश,
(मण्डलेश्वर)

कुछ समय पश्चात्–

34. दण्ड के प्रश्न पर आरोपीगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक को सुना गया। आरोपीगण की ओर से निवेदन किया गया कि आरोपीगण का यह प्रथम अपराध है।

आरोपीगण आद्तन अपराधी नहीं है। अतः दण्ड के संबंध में नरम रूख अपनाया जावे जबकि अभियोजन की ओर से आरोपीगण को प्रावधान अनुसार अधिकतम दंडादेश दिए जाने का निवेदन किया है।

35. अभिलेख का अवलोकन किया गया। निवेदन पर विचार किया गया। आरोपीगण के विरूद्ध पूर्व कोई दोषसिद्धि अभिलेख पर विद्यमान नहीं है। अतः आरोपीगण का यह प्रथम अपराध है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचारोपरांत व अपराध की प्रकृति, उसके स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए आरोपीगण को निम्नानुसार दंडित किया जाता हैः—

क्र.	**अभियुक्त का नाम**	**दोषसिद्ध अपराध धारा**	**दंडादेश**	**व्यतिक्रम की सजा**
01.	मनोज पिता मोहन वर्मा	आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 5 सहपठित धारा 25(1)(क)	07 (सात) वर्ष के सश्रम कारावास व 1,000/—(एक हजार रूपये) अर्थदंड	06 (छह) माह का अति. सश्रम कारावास
02.	विनय उर्फ विक्की पिता बिहारीलाल वर्मा	आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 5 सहपठित धारा 25(1)(क)	07 (सात) वर्ष के सश्रम कारावास व 1,000/— (एक हजार रूपये) अर्थदंड	06 (छह) माह का अति. सश्रम कारावास
03.	सचिन पिता जगदीश सिकलीकर	आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 5 सहपठित धारा 25(1)(क)	07 (सात) वर्ष के सश्रम कारावास व 1,000/— (एक हजार रूपये) अर्थदंड	06 (छह) माह का अति. सश्रम कारावास
		धारा 29 (ख) आयुध अधिनियम	03 (तीन) वर्ष के सश्रम कारावास व 1,000/— (एक हजार रूपये)	03 (तीन) माह का अति. सश्रम कारावास

			अर्थदंड	

36. आरोपीगण के जमानत–मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

37. आरोपी सचिन को दी गई कारावास की सजा साथ–साथ भुगतायी जावे।

38. आरोपीगण का सजा वारंट बनाया जावे एवं सजा वारंट के साथ पृथक से धारा 428 दं.प्र.सं. का प्रमाण पत्र संलग्न कर सजा भुगताने हेतु जेल प्रेषित किया जावे। आरोपीगण द्वारा न्यायिक निरोध में व्यतीत अवधि व उन्हें दी गई कारावासीय अवधि में समायोजित करा पाने के अधिकारी रहेंगे। माननीय **<u>मध्य–प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील क्रं. 653/2007 विश्वजीत व एक अन्य वि. म.प्र. राज्य निर्णय दिनांक 10.09.2013</u>** में पारित आदेशानुसार आरोपीगण द्वारा प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण के दौरान निरोध में व्यतीत की गई अवधि उल्लेखित की जा रही है जो निम्नानुसार हैः–

<table>
<tr><th>आरोपी का नाम</th><th>गिरफ्तारी दिनांक</th><th>पुलिस अभिरक्षा की अवधि</th><th>न्यायिक अभिरक्षा की अवधि</th><th>अभिरक्षा की कुल अवधि</th></tr>
<tr><td>मनोज पिता मोहन वर्मा</td><td>20.05.2022</td><td>दि. 21.05.22 से 23.05.22 तक</td><td>दि. 23.05.22 से दि. 25.07.22 तक</td><td rowspan="2">01 वर्ष, 02 माह, 14 दिवस अर्थात कुल 440 दिवस</td></tr>
<tr><td colspan="3">विचारण के दौरान अनुपस्थित रहने से जारी गिरफ्तारी वारंट के पालन में</td><td>दि. 16.10.2024 से 25.10.2025 तक</td></tr>
<tr><td>विनय उर्फ विक्की पिता बिहारीलाल वर्मा</td><td>20.05.2022</td><td>दि. 21.05.22 से 23.05.22 तक</td><td>दि. 23.05.22 से दि. 28.05.22 तक</td><td>कुल 07 दिवस</td></tr>
<tr><td>सचिन पिता जगदीश सिकलीकर</td><td>03.10.2022</td><td>निरंक</td><td>04.10.2022 से 15.11.2022 तक</td><td>01 माह, 12 दिवस, कुल 43 दिवस</td></tr>
</table>

39. धारा 363(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के अनुसार निर्णय की निःशुल्क प्रति आरोपीगण को प्रदान की जावे।

40. निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी, जिला–खरगोन (म.प्र.) को अपर लोक अभियोजक के माध्यम से प्रेषित की जावे।

41. प्रकरण में जप्ती पत्रक दिनांक 20.05.2022 अनुसार अभियुक्त मनोज वर्मा से जीओ कपंनी का की–पेड एक मोबाईल मय सिम जप्त किया गया है। इसी प्रकार जप्ती पत्रक दिनांक 20.05.2022 अनुसार अभियुक्त विनय उर्फ विक्की से वीवो कपंनी का एक एंड्राइड मोबाईल मय सिम जप्त किया गया है। अतः अपील अवधि पश्चात, अपील न होने की दशा में उक्त मोबाईल्स के बिल इत्यादि दस्तावेज आवेदन के साथ पेश किये जाने की दशा में अभियुक्त मनोज वर्मा को उक्त जीओ कंपनी का की–पेड मोबाईल मय सिम तथा अभियुक्त विनय उर्फ विक्की को वीवो कंपनी का एक एंड्राइड मोबाईल मय सिम विधिवत नियमानुसार वापस लौटाया जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

42. प्रकरण में जप्ती पत्रक दिनांक 20.05.2022 के अनुसार **अभियुक्त मनोज वर्मा से** जप्त एक हस्तनिर्मित लोहे का अवैध देशी पिस्टल मय मैग्जीन तथा जप्ती पत्रक दिनांक 20.05.2022 के अनुसार **अभियुक्त विनय उर्फ विक्की से** जप्त एक हस्तनिर्मित लोहे का अवैध देशी पिस्टल मय मैग्जीन और जप्ती पत्रक दिनांक 03.10.2022 के अनुसार **अभियुक्त सचिन से** जप्त एक हस्तनिर्मित लोहे का अवैध देशी पिस्टल मय मैग्जीन को अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर जिला मजिस्ट्रेट, खरगोन की ओर उचित निराकरण हेतु भेजा जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

43. प्रकरण में शेष जप्तशुदा संपत्ति हवा देने का पंखा, एक लोहे की हथोड़ी, पिस्टल बनाने का पतरे का सांचा ,एक बड़ी कानस, एक आरी का पत्ता, एक चोकोर पाईप, एक छोटी कानस, दो लोहे के स्प्रिंग तथा एक लोहे की चोकोर सीट (चोकोर पाईप का टुकड़ा) मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात, अपील न होने की दशा में नष्ट किया जावे। अपील

होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,
दिनांकित कर घोषित किया गया।

SURAJ SINGH RATHOD
Digitally signed by SURAJ SINGH RATHOD
Date: 2026.08.11 17:20:38 +0530

(सूरज सिंग राठौड़)
अपर सत्र न्यायाधीश, भीकनगांव
के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश,
(मण्डलेश्वर)

मेरे श्रुतलेख अनुसार टंकित

SURAJ SINGH RATHOD
Digitally signed by SURAJ SINGH RATHOD
Date: 2026.08.11 17:20:45 +0530

(सूरज सिंग राठौड़)
अपर सत्र न्यायाधीश, भीकनगांव
के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश,
(मण्डलेश्वर)

प्रारूप–ड

अपराध की तारीख	20.05.2022
प्र.सू.रि. की तारीख	20.05.2022
अभियोग पत्र की तारीख	09.11.2022
आरोपों की विरचना की तारीख	13.12.2024
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तारीख	10.01.2025
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	04.08.2026
निर्णय की तारीख	11.08.2026
दंडादेश, यदि कोई की तारीख	11.08.2026

अभियुक्त की श्रेणी	**अभियुक्त का नाम**	**गिरफ्तारी की तारीख**	**जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख**	**अपराध जिनका आरोप है**	**दोषमुक्ति या दोषसिद्धि**	**अधिरोपित दंडादेश**	**धारा 428 द. प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि**

01.	मनोज पिता मोहन वर्मा	20.05.2022	25.07.2022	धारा 25(1)(क) आयुध अधिनियम	**दोषसिद्धि**	आयुध अधि. 1959 की धारा 5 सहपठित धारा 25(1)(क)के आरोप में 07 वर्ष के सश्रम कारावास व रूपये 1,000/— के अर्थदंड से दंडित किया गया।	01 वर्ष, 02 माह, 14 दिवस अर्थात कुल 440 दिवस
विचारण के दौरान अनुपस्थित रहने से जारी गिरफ्तारी वारंट के पालन में		16.10.2024	25.10.2025				
02.	विनय उर्फ विक्की पिता बिहारीलाल वर्मा	20.05.2022	28.05.2022	धारा 25(1)(क) आयुध अधिनियम	**दोषसिद्धि**	आयुध अधि. 1959 की धारा 5 सहपठित धारा 25(1)(क)के आरोप में 07 वर्ष के सश्रम कारावास व रूपये 1,000/— के अर्थदंड से दंडित किया गया।	कुल 07 दिवस
03.	सचिन पिता जगदीश सिकलीगर	03.10.2022	15.11.2022	धारा 25(1)(क), 29 आयुध अधिनियम	**दोषसिद्धि**	आयुध अधि. 1959 की धारा 5 सहपठित धारा 25(1)(क)के आरोप में 07 वर्ष के सश्रम कारावास व रूपये 1,000/— के अर्थदंड से	01 माह, 12 दिवस, कुल 43 दिवस

						दंडित किया गया तथा आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 29 के आरोप में 03 वर्ष के सश्रम कारावास व रूपये 1,000/— के अर्थदंड से दंडित किया गया	

प्रारूप—च

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची—

(क) अभियोजन

श्रेणी	**साक्षी का नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.1	राकेश	पंच साक्षी
अ.सा.2	हरिचरण	आर्म्स मोहर्रिर
अ.सा.3	यशराज	पंच साक्षी
अ.सा.4	शत्रुघ्न देशमुख	पुलिस अनुसंधानकर्ता साक्षी
अ.सा.5	विवेक पाटीदार	कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, खरगोन के आर्म्स रीडर
अ.सा.6	लक्ष्मीनारायण पाल	पुलिस अनुसंधानकर्ता साक्षी
अ.सा.7	पिस्सू उर्फ शोएब	पंच साक्षी
अ.सा.8	शिवा	पंच साक्षी

(ख) प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हों—

श्रेणी	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निरंक		

(ग) न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हों–

श्रेणी	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निरंक		

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची–

(क) अभियोजन पक्ष के प्रदर्श :–

स.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी.1/अ.सा.1	जप्ती पंचनामा
2	प्रदर्श पी.2/अ.सा.1	जप्ती पंचनामा
3	प्रदर्श पी.3/अ.सा.1	जप्ती पंचनामा
4	प्रदर्श पी.4/अ.सा.1	जप्ती पंचनामा
5	प्रदर्श पी.5/अ.सा.1	आरोपी विनय उर्फ विक्की का गिरफ्तारी पंचनामा
6	प्रदर्श पी.6/अ.सा.1	आरोपी मनोज का गिरफ्तारी पंचनामा
7	प्रदर्श पी.7/अ.सा.1	आरोपी मनोज का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत मेमोरेण्डम कथन
8	प्रदर्श पी.8/अ.सा.1	आरोपी विनय उर्फ विक्की का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत मेमोरेण्डम कथन
9	प्रदर्श पी.9/अ.सा.2	जप्तशुदा शस्त्रों की जांच रिपोर्ट हेतु पत्र
10	प्रदर्श पी.10/अ.सा.2	आर्म्स जांच रिपोर्ट
11	प्रदर्श पी.11/अ.सा.2	आर्म्स जांच रिपोर्ट

12	प्रदर्श पी.12 / अ.सा.3	साक्षी यशराज के पुलिस कथन
13	प्रदर्श पी.13 / अ.सा.4	मुखबिर सूचना पंचनामा
14	प्रदर्श पी.14 / अ.सा.4	पुलिस चौकी बमनाला पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट
15	प्रदर्श पी.15 / अ.सा.4	आरोपी विनय उर्फ विक्की के गिरफ्तारी की सूचना
16	प्रदर्श पी.16 / अ.सा.4	आरोपी मनोज के गिरफ्तारी की सूचना
17	प्रदर्श पी.17 / अ.सा.4	प्रथम सूचना रिपोर्ट
18	प्रदर्श पी.17 / अ.सा.5	मामले में आरोपीगण के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति बाबत पुलिस अधीक्षक, खरगोन को संबोधित पत्र
19	प्रदर्श पी.18 / अ.सा.5	अभियोजन स्वीकृति
20	प्रदर्श पी.19 / अ.सा.6	अभियुक्त सचिन का गिरफ्तारी पंचनामा
21	प्रदर्श पी.20 / अ.सा.6	आरोपी सचिन के गिरफ्तारी की सूचना
22	प्रदर्श पी.21 / अ.सा.6	आरोपी सचिन का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत मेमोरेण्डम कथन
23	प्रदर्श पी.22 / अ.सा.6	जप्ती पंचनामा
24	प्रदर्श पी.23 / अ.सा.6	जप्तशुदा 03 देशी पिस्टल की जांच रिपोर्ट हेतु प्रेषित पत्र
25	प्रदर्श पी.24 / अ.सा.6	अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति हेतु पुलिस अधीक्षक, जिला खरगोन को प्रेषित पत्र

(ख) प्रतिरक्षा पक्ष के प्रदर्श :–

स.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
	निरंक	

(ग) न्यायालयीन प्रदर्श :–

स.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
	निरंक	

(घ) आवश्यक वस्तुएं :–

स.क्र.	**आवश्यक वस्तुएं**	**विवरण**
01	आवश्यक वस्तु ए–1	जप्तशुदा एक देशी पिस्टल

02	आवश्यक वस्तु ए–2	मैग्जीन
03	आवश्यक वस्तु ए–3	काले रंग का एक मोबाईल कीपेड जीओ कंपनी का
04	आवश्यक वस्तु ए–4	जप्तशुदा एक देशी पिस्टल
05	आवश्यक वस्तु ए–5	मोबाईल काले रंग का वीवी कंपनी का
06	आवश्यक वस्तु ए–6	अभियुक्त सचिन से एक देशी पिस्टल
07	आवश्यक वस्तु ए–7	हवा देने का पंखा
08	आवश्यक वस्तु ए–8	एक लोहे की हथोड़ी
09	आवश्यक वस्तु ए–9	एक पिस्टल बनाने का पतरे का सांचा
10	आवश्यक वस्तु ए–10	एक बड़ी कानस
11	आवश्यक वस्तु ए–11	एक आरी का पत्ता
12	आवश्यक वस्तु ए–12	एक चोकोर पाईप
13	आवश्यक वस्तु ए–13	एक छोटी कानस
14	आवश्यक वस्तु ए–14	लोहे के स्प्रिंग
15	आवश्यक वस्तु ए–15	लोहे के स्प्रिंग
16	आवश्यक वस्तु ए–16	एक लोहे की चोकोर सीट (चोकोर पाईप का टुकड़ा)

SURAJ SINGH RATHOD

Digitally signed by SURAJ SINGH RATHOD
Date: 2026.08.11 17:20:53 +0530

(सूरज सिंग राठोड़)
अपर सत्र न्यायाधीश, भीकनगांव
के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश,
(मण्डलेश्वर)